

13 $\frac{12}{2023}$

पत्रावली पेश हुई अथ पत्रकारान उपास्थित ।
पेट्रोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा ने
न्यायालय में उपास्थित ही पत्रावली में
जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर no-
objection किया । वकील प्रार्थी ने आज ही
बहस का निवेदन किया । अथ पत्र द्वारा
बहस भी गई । अथ पत्र भी बहस को बुना
गया । अथ पत्र भी बहस पर मनन किया
किया । प्रा० पत्र में अंतिम तथ्यो व पत्रावली
में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन कर
गहनता से मनन किया गया । वकील
प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान ही गई दलीली
से हम संतुष्ट हैं । प्रार्थी का प्रा० पत्र
द्वारा-128 का स्वीकार योग्य पाया जाता है
अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र द्वारा-128 का
स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया
जाकर प्रा० पत्र का निर्णय धृष्टक से लिखाया
जाकर खुले न्यायालय की इजलास में बुनाया
गया । पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज
रजिस्टर से कम की जाकर शामिल करार
ले ।

No objection

Amil
13/12/23

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

